

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 27 जुलाई, 2005/श्रावण 05, 1927 (शक)

संख्या-106

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित निम्नलिखित संसूचना एस.एच.ओ., संगम विहार, नई दिल्ली से प्राप्त हुयी है:-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश विधुड़ी और श्री विजय जौली को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत एम.बी.रोड क्षेत्र, नई दिल्ली से 24.7.2005 को पूर्वाह्न 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से पूर्वा 11.10 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 27<sup>th</sup> July, 2005/5 Shrawana 1927 (Saka)

No. 106

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Sangam Vihar, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Ramesh Vidhuri and Shri Vijay Jolly, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from M.B. Road Area, New Delhi at 1105 Hrs. on 24.7.2005.

They were released at 1110 Hrs. from the same place on the same date."

SIDDHARATH RAO  
Secretary